जम्मू तथा कश्मीर के शरणार्थी

1841. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर घाटी से आकर जम्मू तथा दिल्ली शरणार्थी कैम्पों में रह रहे विस्थापित लोगों की अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ख) उनके लिए क्या-क्या प्रबंध किए गए हैं ;

(ग) उनसे प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब) : (क) से (ख) जम्मू में लगभग 6,000 परिवारों को शिविरों तथा निर्मित आवासों में ठहराया गया है । अन्य परिवारों ने ठहरने की अपनी व्यवस्थाएं स्वयं की हैं । जम्मू में, चार या उससे अधिक सदस्यों वाले पात्र परिवारों को अधिकतम 1000 रु० की नकद राहत राशि प्रति माह प्रति परिवार दी जाती है तथा एक महीने में 9 कि०ग्रा० चावल, 2 कि०ग्रा० आटा प्रति व्यक्ति की दर से सूखा राशन दिया जाता है और प्रति परिवार एक कि०ग्रा० चीनी दी जाती है । शिविरों में रहने वाले व्यक्तियों को चारपाइयां टेबल पंखे तथा दरियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं ।

दिल्ली में लगभग 1500 व्यक्ति शिविरों में ठहरे हुए हैं जबकि अन्यों ने अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं की है । जो व्यक्ति शिविरों में ठहरे हुए हैं, उनके चार या उससे अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को अधिकतम 500 रु० की मासिक नकद राहत राशि दी जाती है और इसके साथ ही लगभग 500 रु० मूल्य का मासिक राशन उपलब्ध कराया जाता है । उन्हें एक समय खाना पकाने के बर्तन तथा बिस्तर भी दिए गए हैं ।

समय-समय पर प्रवासियों ने अपर्याप्त राहत सहायता और उनके स्थायी पुनर्वास के बारे में अनेक शिकायतें की हैं । राहत सहायता में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बच्चों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न न हो, सरकार ने सतत प्रयास किए हैं । रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर और राजकीय मेडीकल कालेज, श्रीनगर और अन्य कालेजों, जम्मू और देश के अन्य भागों में कालेजों में प्रवासी छात्रों के दाखिले के लिए निर्देश जारी किए गए हैं । उन्हें सहायता दी जाती रहेगी । सरकारी संस्थानों में प्रवासी छात्रों के संबंध में शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति करने और बुक बैंकों और चल-पुस्तकालयों के गठन के बारे में हाल ही में निर्देश जारी किए गए हैं । प्रवासियों को घाटी से बाहर बसाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि घाटी में सुधार होने पर वे अपने घरों को लौट सकेंगे ।

जम्मू तथा कश्मीर में मंदिरों को ध्वस्त किया जाना

1842. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कश्मीर घाटी में अनेक मंदिर ध्वस्त किए गए हैं अथवा उन्हें क्षति पहुंचाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब) : (क) से (ग) 1989 से 1991 तक जम्मू और कश्मीर में 22 मंदिर क्षति-ग्रस्त हुए । मंदिरों की मरम्मत तथा उनके संरक्षण के लिए समय-समय पर मांगें की गई हैं ।

धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना, घाटी में आतंकवाद रोकने और सामान्य हालात बहाल करने के लिए किए गए सभी प्रशासनिक प्रयासों का एक भाग है ।